[illegible]

[illegible] 618 [illegible] 11/9/19

[illegible]

[illegible] [illegible] खण्ड–झुंझुनू, उप आवासन आयुक्त–द्वितीय एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता–प्रथम, जयपुर द्वारा आवासीय योजना चूरू में अनिस्तारित 02 आवासों का नीलामी के माध्यम से निस्तारित किये जाने हेतु अनुशंषा के आधार पर नीलामी से निस्तारित किये जाने की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है। उपरोक्त 02 आवासों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.स.	योजना का नाम	आय वर्ग	आवास संख्या	कुल आवास
1.	आवासीय योजना चूरू	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	3/143	01
		अल्प आय वर्ग	4/60	01
कुल				02

उपरोक्त अनांवटित अनिस्तारित 02 आवासों को नीलामी के माध्यम से निस्तारण निम्न शर्तो पर किया जाना प्रस्तावित है :–

1. आवासीय योजना में आवास/फ्लेट/आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक सहित, ऐसे आवेदक भी जिनकी याचिका पर माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम/अन्तिम आदेशों के जरिये याची को आवास/फ्लेट आवंति करने के निर्देश प्रदत्त किये हुए हों लम्बित नहीं है।
2. आवासीय योजना में नीलामी योग्य सभी आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों की अनुमति प्राप्त करने संबंधी इकजाई प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाकर, इस तथ्य को प्रमाणन भी किया जावे कि उस योजना में नीलामी योग्य अन्य आवासीय संपदा उपलबध नहीं है। सक्षम स्वीकृति के उपरान्त न्यूनतम बिड मूल्य निर्धारण हेतु मण्डल के आदेशांक राजस्व/11/2014–15/37 दिनांक 17.06.2014 द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावे।
3. आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों का निस्तारण उचित प्रचार–प्रसार के माध्यम से किया जावे।
4. नीलामी हेतु प्रस्तावित आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद अथवा न्यायिक वाद विचारधीन नहीं है। "निस्तारण हेतु प्रस्तावित आवासों बाबत किसी भी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें से कोई भी आवास किसी प्रकार से आरक्षित रखने बाबत कोई आश्वासन/शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।
5. आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों के न्यूनतम बिड मूल्य के प्रस्तावों के साथ समकक्ष आवास/भूखण्ड की पूर्व में स्वीकृत/अस्वीकृत बिड की सूचना भी प्रस्तुत की जावे।

उक्त आदेशों को माननीय आवासन आयुक्त महोदय का अनुमोदन पैरा 12/एन पर प्राप्त है।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक

ne I D:\desktop newly\Office Work/General letter 2

[illegible]

[illegible]

[illegible]

3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम, रा0 आ0 म0 जयपुर।
4. निजी सचिव–वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. अति0 निजी सचिव–मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त द्वितीय, रा0आ0म0, वृत जयपुर।
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड झुझुनू, रा0आ0म0 झुझुनू।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0मं0, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक